कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल पूर्व सीधी (म0प्र0)

क्रमांक/मा0चि0/ 4180 दिनांक 21-12-94

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग
एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट, लिमिटेड
क्षेत्रीय संस्थान 6, पोस्ट-जयन्त कालरी
जिला -सीधी (म0प्र0)

विषय:- सीधी जिलें में संरक्षित वनखण्ड दुधिचुआँ कक्ष क्रमांक पी 46 से पी 50 के अन्तर्गत सी0एम0पी0 डी0आई0, जयन्त द्वारा 120 बोर होल करनें बावत, पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण अनुमति बावत ।

सन्दर्भ:- मुख्य वनसंरक्षक भू0 सर्वे0 एवं वन संरक्षण अधिनियम, सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/12/भू0सर्वे0/व0सं0/5268-69 दिनांक 5.12.94 तथा वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा पत्र क्रमांक/मा0चि0/9922 दिनांक 14.12.94.

--

मुख्य वनसंरक्षक भू0सर्वे/वनसंरक्षण अधिनियम सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा संरक्षित वन खण्ड दुधिचुआँ के निम्नानुसार कक्षों के क्षेत्र में बोरहोल कर कोयलें के भण्डार का पता लगानें हेतु (4.5") व्यास के लगभग 200 से 450 मी0 गहराई के (बोरहोल) निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

क्षेत्र/ब्लाक	बोरहोल संख्या	वनक्षेत्र प्रकोष्ठ बार हे0 में					
		पी46,	पी47,	पी48,	पी49,	पी50	योग हे.
बुन्देला	20	423	153	11	-	-	587
बघेला	25	304	-	-	-	-	304
चन्देला	40	11	-	34	270	207	522
	85	738	153	45	270	207	1413हे0

इस प्रकार 85 बोर होल तथा 1413 हे0 वन क्षेत्र में 2 वर्ष के लिए कोयले के भण्डार के पता लगानें हेतु पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(1) पूर्वेक्षण के दौरान न तो कोई वृक्ष काटे/छाँटे जाये और न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुँचाई जावें ।

(2) पूर्वेक्षण कार्य ड्रिलिंग द्वारा बोर होल करके ही किया जावें ।

(3) पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण के दौरान कार्य में लाये गये श्रमिकों द्वारा वनों को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो उसका मुआवजा जो भी वैधानिक रूप रूप से आंकलन किया जावेगा आपको देय होगा ।

(4) खनिज उपलब्ध होनें पर वन भूमि लीज पर देनें की शासन की बाध्यता नहीं रहेगी ।

(5) पूर्वेक्षण के दौरान सम्बन्धित क्षेत्र के रेंज असिसटेन्ट मोरवा के देख-रेख में लिया जावेगा । पूर्वेक्षण

(6) पूर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होनें पर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावेगा ।

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व सीधी वन मण्डल सीधी
जिला-सीधी (म0प्र0)
19/12

क्रमांक/मा0चि0/ दिनांक-

प्रतिलिपि:- उपवनण्डलाधिकारी बैढ़न एवं परिक्षेत्राधिकारी बैढ़न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जावे । मुख्य वन संरक्षक भूसर्वे0/वनसंरक्षक म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 5267 दिनांक 5-12-94 द्वारा पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की गई है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । उपरोक्त क्षेत्र में सम्बन्धी संस्थान के पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण का कार्य रेंज असि0 मोरवा की देख भाल में होगा । पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण केवल समय रेंज असि0 मोरवा उपस्थित रहेंगे ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व सीधी वन मण्डल सीधी
जिला - सीधी (म0प्र0)